उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-32/2023/213/52-1-2023-1385449
लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2023

शुद्धि-पत्र

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद बरेली के बरेली हेडक्वार्टर में राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त केन्द्रांश की धनराशि निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-31/2023/206/52-1-2023-21(पी0एम0जे0वी0के0)/2019-1385449 दिनांक 09 फरवरी, 2023 तथा राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-30/2023/205/52-1-2023-21(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 09 फरवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश संख्या-31/2023/206/52-1-2023-21(पी0एम0जे0वी0के0)/2019-1385449 दिनांक 09 फरवरी, 2023 के प्रस्तर-4 की शर्त संख्या-7 में उल्लिखित **"अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।"** के स्थान पर **" अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था–लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।"** पढ़ा व समझा जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in/

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-30/2023/205/52-1-2023-21(पी0एम0जे0वी0के0)/ 2019 दिनांक 09 फरवरी, 2023 के प्रस्तर-4 की शर्त संख्या-7 में उल्लिखित **"अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।"** के स्थान पर **" अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।"** पढ़ा व समझा जाय।

4- उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-213(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in/

7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, **लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **बरेली**।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/